

कार्यालय कलेक्टर, (आदिवासी विकास शाखा), जिला उत्तर बस्तर कांकेर

क्रमांक / 1245 / आ.वि / एकलव्य / 2024-25 कांकेर, दिनांक 30/09/2024

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी
कांकेर वनमंडल,
कांकेर ।

विषय :- वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कांकेर (ग्राम अंजनी) के भवन निर्माण हेतु प्राप्त स्वीकृति की अधिरोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने बाबत।

संदर्भ :- (1) भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अटल नगर नया रायपुर का पत्र क्रमांक/FC-II/TROCH-13/2022/954 दिनांक 03.10.2022

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कांकेर (ग्राम अंजनी) के भवन निर्माण हेतु ग्राम अंजनी विकासखण्ड कांकेर के कक्ष क्रमांक ओ.ए. 417 में से रकबा 6.66 हेक्ट. वनभूमि के प्रत्यावर्तन हेतु संदर्भ क्रमांक-01 के माध्यम से प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-

S.No.	CONDITIONS	COMPLIANCE STATUS
i	Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.	विभाग वन भूमि की कानूनी स्वरूप में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं करेगा, जिसके लिये विभाग वचनबद्ध है। वचन पत्र संलग्न है।
ii	Compensatory Afforestation	
a)	Compensatory afforestation shall be taken up by the User Agency carried out in equal area of 6.66 ha revenue land in Dugurkondal range at khasra no. 66 in East Bhanuparatappur Forest Division, Kanker at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided	गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित क्षेत्र के बदले पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के तहसील दुर्गूकोंदल के ग्राम हिलचूर के खसरा नं. 66 में से 6.66 हे.में उपलब्ध कराई गयी राजस्व भूमि पर स्थानीय स्वदेशी प्रजाति के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु विभाग द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि 64,37,966.00 रुपये ई-चालान जनरेटर कर आर.टी.जी.एस. के माध्यम से UTR No. BDBLR62024010110131305 दिनांक 01.01.2024 द्वारा कैम्पा खाता 1506462153246694 में जमा की गई है एवं उपलब्ध कराई गयी है, नवीन दर के अनुसार अंतर की राशि 13,52,073.00 रु. ई-चालान जनरेट कर आर.टी.जी.एस. के माध्यम से UTR No. BDBLR62024091914449383 दिनांक 18.09.2024 द्वारा कैम्पा खाता 1506462153611954 में जमा की गई है कुल राशि 77,90,039.00 रुपये जमा की गई है एवं उपलब्ध कराई गई राजस्व भूमि पर किसी प्रकार का मोनोकल्चर का कार्य नहीं किया जायेगा। चालान की प्रति संलग्न है।
b)	The non-forest land which has been transferred and mutated in favour of the State Forest Department	न्यायालय कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) के आदेश दिनांक 10.07.2024 के माध्यम से प्रकरण के विरुद्ध वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गयी राजस्व भूमि 6.66 हेक्ट. को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण की गई है। आदेश की प्रति संलग्न है।
iii	cost of Compensatory Afforestation at the prevailing wage rates as per compensator	आवेदक द्वारा शर्त मान्य है। (आवेदक का वचन पत्र संलग्न है)

iv	NPV	
a)	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 6.66 ha forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No.202/1995 and the guidelines issued by this Ministry vide its letter No.5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard;	माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के पत्र दिनांक 28.03.2008 के निर्देशानुसार व्यपवर्तित वन भूमि रकबा 6.66 हे. के लिए (Eco Class-III) खुला वन प्रति हेक्टेयर के निर्धारित दर 9,57,780.00 रुपये प्रति हेक्टर के मान से कुल राशि 63,78,815.00 रुपये ई-चालान जनरेटर कर आर.टी.जी.एस. के माध्यम से UTR No. BDBLR62024010110131305 दिनांक 01.01.2024 द्वारा कैम्पा खाता 1506462153246694 में जमा की गई है। चालान की प्रति संलग्न है।
b)	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect	आवेदक द्वारा शर्त मान्य है। (आवेदक का वचन पत्र संलग्न है)
v	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portai (https://parivesh.nic.in/),	आवेदक द्वारा शर्त मान्य है। (आवेदक का वचन पत्र संलग्न है)
vi	State Government shall take appropriate action against the violation as per the provisions of MoEF&CC's guideline dated 29.01.2018 and penal NPV shall be charged accordingly. A detail report in this regard shall be submitted along with the compliance report:	आवेदक द्वारा शर्त मान्य है। (आवेदक का वचन पत्र संलग्न है)
vii	The State Government of Chhattisgarh/ Nodal Officer (FCA), Forest Department of Chhattisgarh shall ensure settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) before issuing an order for handing over of forest land to the User Agency as per Rule-9 (6) (b) (ii) of Forest (Conservation) Rules, 2022 dated 28.06.2022;	आवेदक द्वारा शर्त मान्य है। (आवेदक का वचन पत्र संलग्न है)
viii	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department;	आवेदक द्वारा शर्त मान्य है। (आवेदक का वचन पत्र संलग्न है)
ix	The maximum number of trees in the proposal shall be kept intact. User Agency shall give an undertaking stating that plantation work will be carried out in the proposed area or school premises, as per availability of blank area;	आवेदक द्वारा शर्त मान्य है। (आवेदक का वचन पत्र संलग्न है)

x	The proposal considered only site-specific projects on forest land, State Government must be find alternative land for non-site-specific future projects. The State Government shall submit a certificate from the side of the Chief Secretary, Government of Chhattisgarh for non-availability of Private and Government land for such proposal. The same shall submit along with the Stage-1 Compliance report by the state Government.	आवेदक द्वारा शर्त मान्य है । (आवेदक का वचन पत्र संलग्न है)
xi	The concerned DFO will recheck the rare species of flora and fauna mentioned in the proposed area and shall submit a report in this regard certificate shall be submitted along with Stage-I compliance;	वन विभाग से संबंधित है।
xii	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable,	आवेदक द्वारा शर्त मान्य है । (आवेदक का वचन पत्र संलग्न है)
xiii	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government	आवेदक द्वारा शर्त मान्य है । (आवेदक का वचन पत्र संलग्न है)
xiv	No labour camp shall be established on the forest land,	आवेदक द्वारा शर्त मान्य है । (आवेदक का वचन पत्र संलग्न है)
xv	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel;	आवेदक द्वारा शर्त मान्य है । (आवेदक का वचन पत्र संलग्न है)
xvi	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer,	आवेदक द्वारा शर्त मान्य है । (आवेदक का वचन पत्र संलग्न है)
xvii	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work:	आवेदक द्वारा शर्त मान्य है । (आवेदक का वचन पत्र संलग्न है)
xviii	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less,	आवेदक द्वारा शर्त मान्य है । (आवेदक का वचन पत्र संलग्न है)
xix	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal;	आवेदक द्वारा शर्त मान्य है । (आवेदक का वचन पत्र संलग्न है)
xx	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies. department or person without prior approval of Govt. of India.	आवेदक द्वारा शर्त मान्य है । (आवेदक का वचन पत्र संलग्न है)

xxi	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018;	आवेदक द्वारा शर्त मान्य है । (आवेदक का वचन पत्र संलग्न है)
xxii	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife;	आवेदक द्वारा शर्त मान्य है । (आवेदक का वचन पत्र संलग्न है)
xxiii	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	आवेदक द्वारा शर्त मान्य है । (आवेदक का वचन पत्र संलग्न है)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कांकेर

पृ0क्रमांक / 1245 -A / आ.वि / एकलव्य / 2024-25 कांकेर, दिनांक 30 / 09 / 2024
प्रतिलिपि :-

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. आयुक्त/पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, इंद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
3. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
4. कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कांकेर

कार्यालय कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा),
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

Diversion of 6.66 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklayya Modern Residential School, under Forest Conservation Act, 1980 at Village - Anjani, Tehsil-Kanker, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh - reg.

पंजीयन क्रमांक — FP/CG/SCH/ 153246/ 2022


FC Stage-I issued vide letter no. FC-II/TROCH-13/2022/954 Dated:03.10.2022

CONDITION NO. (I)

Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged

UNDERTAKING.

विभाग वन भूमि की कानूनी स्वरूप में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं करेगा, जिसके लिये विभाग वचनबद्ध है।


ASSISTANT COMMISSIONER
TRIBAL DEVELOPMENT KANKER
CHHATTISGARH
Assistant Commissioner
Tribal Development
U. B. Kanker (C.G.)

6 प्रति

**कार्यालय कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा),
जिला उत्तर बस्तर कांकेर**

Diversion of 6.66 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation Act, 1980 at Village - Anjani, Tehsil-Kanker, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh - reg.

पंजीयन क्रमांक – FP/CG/SCH/ 153246/ 2022

FC Stage-I issued vide letter no. FC-II/IROCH-13/2022/954 Dated:03.10.2022

CONDITION NO. (II) Compensatory Afforestation:

(a) Compensatory afforestation shall be taken up by the User Agency carried out in equal area of 6.66 ha revenue land in Dugurkondal range at khasra no. 66 in East Bhanuparatappur Forest Division, Kanker at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided

UNDERTAKING..

गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित क्षेत्र के बदले पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल के तहसील दुर्गूकोंदल के ग्राम हिलचूर के खसरा नं. 66 में से 6.66 हे.में उपलब्ध कराई गयी राजस्व भूमि पर स्थानीय स्वदेशी प्रजाति के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु विभाग द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि 64,37,966.00 रुपये ई-चालान जनरेटर कर आर.टी.जी.एस. के माध्यम से UTR No. BDBLR62024010110131305 दिनांक 01.01.2024 द्वारा कैम्पा खाता 1506462153246694 में जमा की गई है एवं उपलब्ध कराई गयी है, नवीन दर के अनुसार अंतर की राशि 13,52,073.00 रु. ई-चालान जनरेट कर आर.टी.जी.एस. के माध्यम से UTR No. BDBLR62024091914449383 दिनांक 18.09.2024 द्वारा कैम्पा खाता 1506462153611954 में जमा की गई है कुल राशि 77,90,039.00 रुपये जमा की गई है एवं उपलब्ध कराई गई राजस्व भूमि पर किसी प्रकार का मोनोकल्चर का कार्य नहीं किया जायेगा। चालान की प्रति संलग्न है।

**Assistant Commissioner
ASSISTANT COMMISSIONER
TRIBAL DEVELOPMENT KANKER
CHHATTISGARH**

कार्यालय कलेक्टर, (आदिवासी विकास शाखा), जिला उत्तर बस्तर कांकेर

क्रमांक/1151 /आ.वि/एकलव्य/2024-25

कांकेर, दिनांक 19 सितम्बर 2024

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,
कांकेर वन मंडल कांकेर ।

विषय :- Diversion of 6.66 Ha. Forest Land In Favour Tribal Development Kanker For Establishment Of Eklavya Modern Residential, School Under Forest Conservation Act. 1980 At Village-Anjani, Tehsil-Kanker, District- North Bastar Kanker In The State Of Chhattisgarh-Reg.

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/मा.वि./2024/1575 कांकेर दिनांक 09.07.2024.

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करेंगे । जिसके तहत संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कांकेर ग्राम अंजनी के भवन निर्माण हेतु चयनित भूमि को 'छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति' के नाम से नामांतरण हेतु वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति में अधोरोपित शर्तों के तहत वर्ष 2024-25 हेतु नवीन दर अनुसार अंतर की राशि को कैम्पा मद के निम्नानुसार खाता में चालान के माध्यम से जमा किया गया है :-

S.N.	UTR	Paid to Account No.	IFSC Code	Amount
1	BDBLR62024091914449383	1506462153611954	UBIN0996335	13,52,073.00

उपरोक्तानुसार जमा की गई राशि के चालान की प्राप्ति अभिस्वीकृति 04 मूल प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कांकेर

पृ0क्रमांक/ 1151-A /आ.वि/एकलव्य/2024-25 कांकेर, दिनांक 19 सितम्बर 2024
प्रतिलिपि :-

- आयुक्त/पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, इंद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
- मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर, की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
- कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कांकेर (सीएसआर शाखा) की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कांकेर

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 18-09-2024

Agency Name.	TRIBAL DEVELOPMENT KANKER
Application No.	62153246961
MoEF/SG File No.	FC-II/IROCH-13/2022
Location.	CHATTISGARH
Address.	OFFICE OF THE ASSISTANT COMMISSIONER TRIBAL DEVELOPMENT KANKER COLLECTORATE BUILDING KANKER POST- KANKER DISTRICT- UTTAR BASTAR, KANKER (C.G.)Kanker
Amount(in Rs)	1352073/-

Amount in Words :Thirteen Lakh Fifty-Two Thousand and Seventy-Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	CHATTISGARH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506462153246961 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jailitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only


Note:After making the required payment through c even after 7 working days, then kindly mail a copy c id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse ubin0903710@unionbankofindia.bank

UTR- BDBLR 620 24091914449383



19 SEP 2024

UTR - BDBLR 62024010110131305

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  **Union Bank of India**

एकता आनंद आशा A Government of India Undertaking

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 27-12-2023

Agency Name.	TRIBAL DEVELOPMENT KANKER
Application No.	62153246694
MoEF/SG File No.	FC-II/ROCH-13/2022
Location.	CHATTISGARH
Address.	OFFICE OF THE ASSISTANT COMMISSIONER TRIBAL DEVELOPMENT KANKER COLLECTORATE BUILDING KANKER POST- KANKER DISTRICT- UTTAR BASTAR, KANKER (C.G.)Kanker
Amount(in Rs)	12816811/-

Amount in Words :One Crore Twenty-Eight Lakh Sixteen Thousand Eight Hundred and Eleven Rupees Only


NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	CHATTISGARH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506462153246694 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through ct even after 7 working days, then kindly mail a copy of id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , eppure(ubin0903710@unionbankofindia.bank


Assistant Commissioner
Tribal Development
U. B. Kanker (C.G.)


01/01/24

**कार्यालय कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा),
जिला उत्तर बस्तर कांकेर**

Diversion of 6.66 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation Act, 1980 at Village - Anjani, Tehsil-Kanker, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh - reg.

पंजीयन क्रमांक – FP/CG/SCH/ 153246/ 2022

FC Stage-I issued vide letter no. FC-II/IROCH-13/2022/954 Dated:03.10.2022

CONDITION NO. (II)

(b) The non-forest land which has been transferred and mutated in favour of the State Forest Department.

UNDERTAKING..

न्यायालय कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) के आदेश दिनांक 10.07.2024 के माध्यम से प्रकरण के विरुद्ध वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गयी राजस्व भूमि 6.66 हेक्ट. को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण की गई है । आदेश की प्रति संलग्न है।


Assistant Commissioner
TRIBAL DEVELOPMENT KANKER
CHHATTISGARH

कार्यालय कलेक्टर, (आदिवासी विकास शाखा), जिला उत्तर बस्तर कांकेर


क्रमांक / 770 / आ.वि / एकलव्य / 2024-25 कांकेर, दिनांक 05 अगस्त 2024
प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,
पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल,
जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।

विषय :- एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के लिए भूमि आबंटन की प्रक्रिया पूर्ण करने बाबत ।
संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 5804 भानुप्रतापपुर दिनांक 24.07.2024.


कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करेंगे ।
न्यायालय कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़) के आदेश दिनांक 10.07.2024 द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम हिलचूर विकासखण्ड दुर्गूकोदल में चयनित भूमि को वन विभाग को हस्तांतरित किया गया है । आदेश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।


सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कांकेर

पृ0क्रमांक / 770 (A) / आ.वि / एकलव्य / 2024-25 कांकेर, दिनांक 05 अगस्त 2024
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त/पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, इंद्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त कांकेर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
3. कलेक्टर/अध्यक्ष, जिला स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, जिला उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
4. वनमण्डलाधिकारी, कांकेर वनमण्डल कांकेर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।


सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कांकेर

न्यायालय, कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

पीठारीन अधिकारी निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर
रा.प्र.क. 202401140100028 / अ-20(3) / 2023-24

वनमण्डलाधिकारी
पूर्व भानुप्रतापपुर
वनमण्डल भानुप्रतापपुर

आवेदक

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ शासन

आदेश

(दिनांक 10/07/2024)

वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल भानुप्रतापपुर के पत्र क्रमांक/ना.चि/2024/284 भानुप्रतापपुर, दिनांक 16.01.2024 के अनुसार विकासखण्ड कांकेर के ग्राम अंजनी में रकबा 6.660 हेक्टेयर, विकासखण्ड नरहरपुर के ग्राम सुरही में रकबा 6.500 हेक्टेयर तथा विकासखण्ड दुर्गुकोन्दल के ग्राम भण्डारडिगी में रकबा 4.830 हेक्टेयर कुल रकबा 17.990 हेक्टेयर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु तहसील दुर्गुकोन्दल के ग्राम हिलचुर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 66, 109, 68 एवं 132 रकबा क्रमशः 34.380, 14.810, 5.200 एवं 1.43 हेक्टेयर कुल रकबा 55.82 में से 17.990 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण करने मांग किये जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रकरण में तहसीलदार दुर्गुकोन्दल से जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर के माध्यम से प्राप्त किया गया है।

2 प्रकरण में तहसीलदार दुर्गुकोन्दल ने आवेदित भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल भानुप्रतापपुर को हस्तांतरण करने के संबंध में दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि एवं प्रातः इंडिया में दिनांक 21.01.2024 को ईशतहार का प्रकाशन कराया है, प्रकाशन उपरांत समयावधि के पूर्व दिनांक 29.01.2024 को समस्त ग्रामवासी ग्राम हिलचुर के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार भूमि चरागन, मद में दर्ज है, तथा चट्टान एवं पथरिला होने के कारण वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त है। चूंकि पटवारी प्रतिवेदन अनुसार ग्राम में चारागाह हेतु अन्य अतिरिक्त भूमि शेष है। अतः आपत्ति वैध नहीं होने के कारण खारिज किया गया है। प्रकरण में ग्राम पंचायत दमकसा के आश्रित ग्राम हिलचुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 66, 109, 68 एवं 132 रकबा



380, 14.810, 5.200 एवं 1.43 हेक्टेयर कुल रकबा 55.82 हेक्टेयर में से रकबा 12.15, 2.00, 2.41 एवं 1.43 हेक्टेयर कुल रकबा 17.990 हेक्टेयर शासकीय भूमि को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित करने के संबंध में प्रमाण पत्र क्रमांक/89/नर/वाणिक/2024 दुर्गूकोन्दल, दिनांक 17.01.2024 के अनुसार विभिन्न विभागों को पत्र लिख कर आवंटित शासकीय भूमि को आवंटित किये जाने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा आपत्ति यदि कोई हो तो अभिमत सहित आहूत किया गया। तत्संबंध में समस्त विभागों खनिज अधिकारी कांकेर, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कांकेर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुर्गूकोन्दल, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (न/स) भानुप्रतापपुर, अनुविभागीय अधिकारी जल संशाधन विभाग भानुप्रतापपुर, अनुविभागीय अधिकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवाएं भानुप्रतापपुर, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दुर्गूकोन्दल, अनुविभागीय अधिकारी पी.एम.जी.एस.वाई, दुर्गूकोन्दल, खण्ड शिक्षा अधिकारी दुर्गूकोन्दल, खण्ड चिकित्सा अधिकारी दुर्गूकोन्दल एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग दुर्गूकोन्दल, सरपंच ग्राम पंचायत दमकसा से अभिमत मांगे जाने पर सभी विभागों ने उक्त आवंटित भूमि को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को आवंटित करने में अपना सहमति लेखकर उपलब्ध कराया है। प्रकरण में हत्का पटवारी से प्रतिवेदन मय पंचनामा प्राप्त किया गया है, जिसके अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नंबर 66, 109, 68 एवं 132 रकबा क्रमशः 34.380, 14.810, 5.200 एवं 1.43 हेक्टेयर कुल रकबा 55.82 हेक्टेयर में से रकबा 12.15, 2.00, 2.41 एवं 1.43 हेक्टेयर कुल रकबा 17.99 हेक्टेयर शासकीय चरागन मद की भूमि है। ग्राम हिलचुर की कुल कृषि भूमि का रकबा 66.35 हेक्टेयर है, ग्राम का कुल चरागन भूमि का रकबा 106.59 हेक्टेयर है। कुल कृषि भूमि का 02 प्रतिशत रकबा 1.32 हेक्टेयर है, भूमि हस्तांतरण के बाद शेष चरागन भूमि का रकबा 88.60 होगा। उक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि में कोई अतिक्रमण नहीं है। प्रकरण में ग्राम पंचायत दमकसा द्वारा ग्राम सभा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु विकासखण्ड नरहरपुर के ग्राम अजनी में रकबा 6.660 हेक्टेयर, ग्राम सुरही में रकबा 6.500 हेक्टेयर एवं विकासखण्ड दुर्गूकोन्दल के ग्राम भण्डारडिगी में रकबा 4.830 हेक्टेयर कुल रकबा 17.990 हेक्टेयर क्षेत्र में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु तहसील दुर्गूकोन्दल के ग्राम हिलचुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 66, 109, 68



क्रमशः 34.380, 14.810, 5.200 एवं 1.43 हेक्टेयर कुल 55.82 हेक्टेयर
क्रमशः 12.15, 2.00, 2.41 एवं 1.43 हेक्टेयर कुल रकबा 17.99 हेक्टेयर
भूमि को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरण करने में कोई अपत्ति नहीं

अतः तहसीलदार दुर्गुकोन्दल ने ग्राम हिलचुर पटवारी हल्का नंबर 05 तहसील दुर्गुकोन्दल की शासकीय भूमि खसरा नंबर 66, 109, 68 एवं 132 रकबा क्रमशः 34.380, 14.810, 5.200 एवं 1.43 हेक्टेयर कुल रकबा 55.82 हेक्टेयर में से रकबा क्रमशः 12.15, 2.00, 2.41, 1.43 हेक्टेयर कुल रकबा 17.99 हेक्टेयर भूमि को आवेदक वन मण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल भानुप्रतापपुर जिला उत्तर बरतर कांकेर को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरण किया जाना प्रस्तावित करते हुए प्रकरण अनुशंसा सहित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर ने तहसीलदार दुर्गुकोन्दल से प्राप्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम हिलचुर पटवारी हल्का नंबर 05 तहसील दुर्गुकोन्दल की शासकीय चरागन मद की भूमि खसरा नंबर 66, 109, 68 एवं 132 रकबा क्रमशः 34.380, 14.810, 5.200 एवं 1.43 हेक्टेयर कुल रकबा 55.82 हेक्टेयर में से रकबा क्रमशः 12.15, 2.00, 2.41, 1.43 हेक्टेयर कुल रकबा 17.99 हेक्टेयर भूमि को आवेदक वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल भानुप्रतापपुर जिला उत्तर बरतर कांकेर को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरण किया जाना उचित प्रतीत होता है प्रतिवेदित करते हुए प्रकरण प्रस्तुत किया है।

3 प्रकरण में ग्राम हिलचुर पटवारी हल्का नंबर 05 तहसील दुर्गुकोन्दल में स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 66 रकबा 34.38 हेक्टेयर में से 12.15 हेक्टेयर, खसरा नंबर 109 रकबा 14.81 हेक्टेयर में से 2.00 हेक्टेयर, खसरा नंबर 68 रकबा 5.20 हेक्टेयर में से 2.41 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 132 रकबा 1.40 हेक्टेयर कुल रकबा 17.99 हेक्टेयर भूमि अभिलेख में चरागन मद में दर्ज होने के कारण आदेश दिनांक 06.03.2024 के अनुसार छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 (3) में निहित प्रावधान के तहत निस्तार प्रयोजन से पृथक करते हुए वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित किया गया है, जिसके अनुसार तहसीलदार दुर्गुकोन्दल के द्वारा खसरा दुरुस्त कर खसरा की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

अतएव प्रकरण में छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा



रायपुर अटल नगर के आदेश क्रमांक क्र एफ 4-135/सात-1/2006/रायपुर
 दिनांक 10/08/2006 में प्रदत्त अधिकारी के तहत तहसीलदार दुर्गुकान्दल एवं
 अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर के जांच प्रतिवेदन, प्रस्ताव के आधार
 वन विभाग अधिकारी हल्का नम्बर 05 तहसील दुर्गुकान्दल में स्थित शासकीय भूमि
 खसरा नंबर 66 रकबा 34.38 हेक्टेयर में से 12.15 हेक्टेयर, खसरा नंबर 109 रकबा
 14.81 हेक्टेयर में से 2.00 हेक्टेयर, खसरा नंबर 68 रकबा 5.20 हेक्टेयर में से 2.41
 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 132 रकबा 1.40 हेक्टेयर कुल रकबा 17.99 हेक्टेयर भूमि
 वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग को निम्नांकित शर्तों के
 अधीन हस्तांतरित किया जाता है :-

- (1) विभाग द्वारा हस्तांतरित भूमि का उपयोग केवल वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु किया जावेगा।
- (2) किसी भी समय विभाग को भूमि की आवश्यकता नहीं होने पर कलेक्टर को लिखित में सूचना विभाग द्वारा दिया जावेगा।
- (3) हस्तांतरित भूमि के अलावा अन्य शासकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया जावेगा।

(त्रिलेशकुमार महादेव क्षीरसागर)
 कलेक्टर
 उत्तर बस्तर कांकेर

पृ. क्रमांक / 540/कले./रीडर/2024
 प्रतिलिपि :-

कांकेर, दिनांक 10/07/2024

- (1) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
- (2) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
- (3) आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
- (4) मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर की ओर सूचनार्थ।
- (5) वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल भानुप्रतापपुर, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- (6) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर की ओर सूचनार्थ।
- (7) तहसीलदार दुर्गुकान्दल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।



उत्तर बस्तर कांकेर

न्यायालय, कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)

आदेश

न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 202401140100028/अ-20(3) /2023-24 में पारित आदेश दिनांक 10.07.2024 के अनुसार छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, के आदेश क्रमांक क्र. एफ 4-135/सात-1/2006/रायपुर, दिनांक 10.08.2006 में प्रदत्त अधिकारों के तहत तहसीलदार दुर्गूकोन्दल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर के जांच प्रतिवेदन, प्रस्ताव के आधार ग्राम हिलचुर पटवारी हल्का नम्बर 05 तहसील दुर्गूकोन्दल में स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 66 रकबा 34.38 हेक्टेयर में से 12.15 हेक्टेयर, खसरा नंबर 109 रकबा 14.81 हेक्टेयर में से 2.00 हेक्टेयर, खसरा नंबर 68 रकबा 5.20 हेक्टेयर में से 2.41 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 132 रकबा 1.40 हेक्टेयर कुल रकबा 17.99 हेक्टेयर भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग को शर्तों के अधीन हस्तांतरित किया गया है।

उक्त आदेश की कंडिका 03 में लिपिकीय त्रुटिवश खसरा नंबर 132 रकबा 1.43 हेक्टेयर के स्थान पर 1.40 हेक्टेयर एवं आदेश की अंतिम पैरा में भी खसरा नंबर 132 रकबा 1.43 हेक्टेयर के स्थान पर 1.40 हेक्टेयर अंकित हो गया है।

अतः उक्त आदेश दिनांक 10.07.2024 की कंडिका 03 में खसरा नंबर 132 रकबा 1.40 हेक्टेयर के स्थान पर 1.43 हेक्टेयर एवं आदेश की अंतिम पैरा में खसरा नंबर 132 रकबा 1.40 हेक्टेयर के स्थान पर 1.43 हेक्टेयर प्रतिस्थापित किया जाता है।

तहसीलदार दुर्गूकोन्दल तदनुसार अभिलेख दुरुस्त करें।



(निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर)
कलेक्टर
उत्तर बस्तर कांकेर


पु. क्रमांक/5927 कले. /रीडर/2024

कांकेर, दिनांक 30/07/2024

प्रतिलिपि :-

- (1) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर ।
- (2) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर।
- (3) आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सूचनार्थ।
- (4) मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त कांकेर की ओर सूचनार्थ।
- (5) वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर वनमण्डल भानुप्रतापपुर, की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- (6) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भानुप्रतापपुर की ओर सूचनार्थ ।
- (7) तहसीलदार दुर्गकोन्दल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।




कलेक्टर
उत्तर बस्तर कांकेर

**कार्यालय कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा),
जिला उत्तर बस्तर कांकेर**

Diversion of 6.66 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation Act, 1980 at Village - Anjani, Tehsil-Kanker, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh - reg.

पंजीयन क्रमांक – FP/CG/SCH/ 153246/ 2022


FC Stage-I issued vide letter no. FC-II/IROCH-13/2022/954 Dated:03.10.2022

CONDITION NO. (III)

The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars, if required, on the CA land will be deposited in advance with the Forest Department by the project authority, as per the demand note raised for the same by the Forest Department. The CA shall be maintained for 10 years by the Forest Department. The scheme may include for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.

UNDERTAKING..

वर्तमान में प्रचलित 10 वर्षीय सिंचित वृक्षारोपण के दर 9,66,666.00 प्रति हेक्टेयर के अनुसार वृक्षारोपण की राशि ई-चालान जनरेट कर कैम्पा मद में जमा की गई है। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित (चिन्हित) राजस्व भूमि के सीमांकन के लिये पिल्हर्स लगाये जाने हेतु वन विभाग द्वारा राशि की मांग की जाती है तो मांग अनुसार राशि जमा करने के लिए विभाग वचनबद्ध है।


ASSISTANT COMMISSIONER
TRIBAL DEVELOPMENT KANKER
CHHATTISGARH
Tribal Development
U. B. Kanker (C.G.)

**कार्यालय कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा),
जिला उत्तर बस्तर कांकेर**

Diversion of 6.66 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation Act, 1980 at Village - Anjani, Tehsil-Kanker, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh - reg.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/SCH/ 153246/ 2022

FC Stage-I issued vide letter no. FC-II/IROCH-13/2022/954 Dated:03.10.2022

CONDITION NO. (IV) NPV

(A) The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 6.66 ha forest land being diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 28.03.2008, 24.04.2008 and 09.05.2008 in Writ Petition (Civil) No.202/1995 and the guidelines issued by the Ministry vide its letter No.5-3/2007-FC dated 05.02.2009 in this regard.

UNDERTAKING..

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के पत्र दिनांक 28.03.2008 के निर्देशानुसार व्यपवर्तित वन भूमि रकबा 6.66 हे. के लिए (Eco Class-III) खुला वन प्रति हेक्टेयर के निर्धारित दर 9,57,780.00 रुपये प्रति हेक्टर के मान से कुल राशि 63,78,815.00 रुपये ई-चालान जनरेटर कर आर.टी.जी.एस. के माध्यम से UTR No. BDBLR62024010110131305 दिनांक 01.01.2024 द्वारा कैम्पा खाता 1506462153246694 में जमा की गई है। चालान की प्रति संलग्न है।


**ASSISTANT COMMISSIONER
TRIBAL DEVELOPMENT KANKER
CHHATTISGARH**
Assistant Commissioner
Tribal Development
U. B. Kanker (C.G.)

**कार्यालय कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा),
जिला उत्तर बस्तर कांकेर**

Diversion of 6.66 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation Act, 1980 at Village - Anjani, Tehsil-Kanker, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh - reg.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/SCH/ 153246/ 2022

FC Stage-I issued vide letter no. FC-II/IROCH-13/2022/954 Dated:03.10.2022

CONDITION NO. (IV) NPV

(b) Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

UNDERTAKING..

प्रकरण के विरुद्ध गैर वानिकी कार्य के लिये व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि रकबा 6.66 हे. के लिए निर्धारित प्रत्याशा मूल्य में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रत्याशा मूल्य की प्रचलित राशि में संशोधन की जाती है तो अंतर की राशि राज्य सरकार या वन विभाग के द्वारा मांग की जाती है, तो प्रत्याशा मूल्य की अंतर की राशि को जमा करने के लिए विभाग वचनबद्ध है।


ASSISTANT COMMISSIONER
TRIBAL DEVELOPMENT KANKER
CHHATTISGARH
Assistant Commissioner
Tribal Development
U. B. Kanker (C.G.)

**कार्यालय कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा),
जिला उत्तर बस्तर कांकेर**

Diversion of 6.66 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation Act, 1980 at Village - Anjani, Tehsil-Kanker, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh - reg.

पंजीयन क्रमांक – FP/CG/SCH/ 153246/ 2022

FC Stage-I issued vide letter no. FC-II/IROCH-13/2022/954 Dated:03.10.2022

CONDITION NO. (V)

All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portai (<https://parivesh.nic.in/>),

UNDERTAKING..

परियोजना अंतर्गत विभाग द्वारा समस्त राशि को कैम्पा खाता में जमा की गई है।


**ASSISTANT COMMISSIONER
TRIBAL DEVELOPMENT KANKER
CHHATTISGARH
Tribal Development
U. B. Kanker (C.G.)**

**कार्यालय कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा),
जिला उत्तर बस्तर कांकेर**

Diversion of 6.66 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation Act, 1980 at Village - Anjani, Tehsil-Kanker, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh - reg.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/SCH/ 153246/ 2022


FC Stage-I issued vide letter no. FC-II/IROCH-13/2022/954 Dated:03.10.2022

CONDITION NO. (VI)

State Government shall take appropriate action against the violation as per the provisions of MoEF&CC's guideline dated 29.01.2018 and penal NPV shall be charged accordingly. A detail report in this regard shall be submitted along with the compliance report:

UNDERTAKING..

विभाग द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 29.1.2018 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार वन भूमि में किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं किया जायेगा, जिसके लिए विभाग वचनबद्ध है।


ASSISTANT COMMISSIONER
TRIBAL DEVELOPMENT KANKER
CHHATTISGARH
Assistant Commissioner
Tribal Development
U. B. Kanker (C.G.)

**कार्यालय कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा),
जिला उत्तर बस्तर कांकेर**

Diversion of 6.66 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation Act, 1980 at Village - Anjani, Tehsil-Kanker, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh - reg.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/SCH/ 153246/ 2022

FC Stage-I issued vide letter no. FC-II/IROCH-13/2022/954 Dated:03.10.2022

CONDITION NO. (VII)

The State Government of Chhattisgarh/ Nodal Officer (FCA), Forest Department of Chhattisgarh shall ensure settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007) before issuing an order for handing over of forest land to the User Agency as per Rule-9 (6) (b) (ii) of Forest (Conservation) Rules, 2022 dated 28.06.2022.

UNDERTAKING..

अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में दी गई दिशा निर्देशों/अधिनियमों के पालन पश्चात् ही वन विभाग भूमि सौंपने का आदेश जारी करेगा, जो विभाग को मान्य है।


**ASSISTANT COMMISSIONER
TRIBAL DEVELOPMENT KANKER
CHHATTISGARH
Tribal Development
U. B. Kanker (C.G.)**

**कार्यालय कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा),
जिला उत्तर बस्तर कांकेर**

Diversion of 6.66 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for
Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation
Act, 1980 at Village - Anjani, Tehsil-Kanker, District North Baster Kanker in the
State of Chhattisgarh - reg.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/SCH/ 153246/ 2022


FC Stage-I issued vide letter no. FC-II/IROCH-13/2022/954 Dated:03.10.2022

CONDITION NO. (VIII)

User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

UNDERTAKING..

परियोजना में प्रभावित वृक्षों की कटाई तभी की जावेगी, जब यह अपरिहार्य हो। पेड़ों की कटाई हेतु वन विभाग द्वारा विदोहन योजना के अनुसार राशि की मांग किये जाने पर विभाग राशि जमा करने के लिए वचनबद्ध है।


**ASSISTANT COMMISSIONER
TRIBAL DEVELOPMENT KANKER
CHHATTISGARH
Assistant Commissioner
Tribal Development
U. B. Kanker (C.G.)**

**कार्यालय कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा),
जिला उत्तर बस्तर कांकेर**

Diversion of 6.66 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation Act, 1980 at Village - Anjani, Tehsil-Kanker, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh - reg.

पंजीयन क्रमांक – FP/CG/SCH/ 153246/ 2022


FC Stage-I issued vide letter no. FC-II/IROCH-13/2022/954 Dated:03.10.2022

CONDITION NO. (IX)

The maximum number of trees in the proposal shall be kept intact. User Agency shall give an undertaking stating that plantation work will be carried out in the proposed area or school premises, as per availability of blank area.

UNDERTAKING.

परियोजना अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र या स्कूल भवन के निर्माण के पश्चात् स्कूल परिसर में अधिक से अधिक उपलब्ध रिक्त भूमि में वृक्षारोपण का कार्य किया जावेगा, जिसके लिए विभागवचनबद्ध है।


ASSISTANT COMMISSIONER
TRIBAL DEVELOPMENT KANKER
CHHATTISGARH
Assistant Commissioner
Tribal Development
U. B. Kanker (C.G.)

**कार्यालय कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा),
जिला उत्तर बस्तर कांकेर**

Diversion of 6.66 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for
Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation
Act, 1980 at Village - Anjani, Tehsil-Kanker, District North Baster Kanker in the
State of Chhattisgarh - reg.
पंजीयन क्रमांक - FP/CG/SCH/153246/2022


FC Stage-I issued vide letter no. FC-II/IROCH-13/2022/954 Dated:03.10.2022

CONDITION NO. (X)

The proposal considered only site-specific projects on forest land, State Government must be find alternative land for non-site-specific future projects. The State Government shall submit a certificate from the side of the Chief Secretary, Government of Chhattisgarh for non-availability of Private and Government land for such proposal. The same shall submit along with the Stage-1 Compliance report by the state Government.

UNDERTAKING..

उक्त शर्त के पालन में उपयुक्त एवं गैर वन मद की राजस्व भूमि का अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर के पत्र क्रमांक/कले./भू-अभि./अ. भूअ/ 2022/1304 दिनांक 21.10.2022 के द्वारा सचिव, छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय अटल नगर नवा रायपुर को लेख किया गया है, प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही पृथक से प्रेषित की जावेगी, जिसके लिए विभाग वचनबद्ध है।


ASSISTANT COMMISSIONER
TRIBAL DEVELOPMENT KANKER
CHHATTISGARH
Assistant Commissioner
Tribal Development
U. B. Kanker (C.G.)

कार्यालय कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा),
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

Diversion of 6.66 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation Act, 1980 at Village - Anjani, Tehsil-Kanker, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh - reg.

पंजीयन क्रमांक – FP/CG/SCH/ 153246/ 2022

FC Stage-I issued vide letter no. FC-II/IROCH-13/2022/954 Dated:03.10.2022

CONDITION NO. (XI)

The concerned DFO will recheck the rare species of flora and fauna mentioned in the proposed area and shall submit a report in this regard certificate shall be submitted along with Stage-I compliance.

UNDERTAKING..

~~संलग्न है।~~


ASSISTANT COMMISSIONER
TRIBAL DEVELOPMENT KANKER
CHHATTISGARH
Tribal Development
U. B. Kanker (C.G.)

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कांकेर वन मण्डल कांकेर

स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कांकेर वनमण्डल के सरोना परिक्षेत्र अंतर्गत कक्ष क्रमांक ओ.ए. 417 राजस्व वनभूमि खसरा नम्बर 472 एवं 409 का रकबा 6.66 हेक्टेयर में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण।

दिनांक 13/09/2024 को मेरे द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र का स्थल निरीक्षण किया गया। प्रस्तावित ऑरेज एरिया क्षेत्र के समीप प्रस्तावित भूमि स्थित है, प्रस्तावित क्षेत्र आरक्षित वन से लगभग 03 कि.मी. की दूरी में स्थित है। जहां पर यदा-कदा वन्यप्राणी विचरण करते हुए पाये जाते हैं, प्रस्तावित स्थल ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण वन्यजीवों का कभी-कभी विचरण होता है, अत्याधिक आवाजाही नहीं होता। इस स्थिति में वन्यजीवों को किसी भी प्रकार की संकटापन उत्पन्न/निर्मित नहीं होता एवं बिन्दु क्रमांक-XI के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी मूर्ति/ऐतिहासिक स्थल नहीं है।

कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिम जाति विकास शाखा, जिला उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु मांग की गई वनभूमि रकबा 6.66 हेक्टेयर परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।

गैर वानिकी प्रायोजन हेतु नांरगी वन कक्ष क्रमांक ओ.ए. 417 राजस्व वनभूमि खसरा नम्बर 472 एवं 409 में 5728 नग वृक्ष मिश्रित प्रजाति के सस्य धारित करते हुए घनत्व 04 स्थल गुण श्रेणी III, IVA, IVB वन विद्यमान है, तथा प्रस्तावित स्थल की समाकृति समतल है। जिसकी भौमिकी रेतलीडोमट की है। परिक्षेत्र के अंतर्गत परियोजना में प्रस्तावित वनभूमि का इको क्लास III (Tropical dry deciduous Forest) है।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि में किसी भी प्रकार के कोई गैर वानिकी कार्य नहीं किया गया है।

कार्य राष्ट्रहित एवं जनहित में होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन निर्माण कक्ष क्रमांक ओ.ए. 417 राजस्व वनभूमि खसरा नम्बर 472 एवं 409 का रकबा 6.66 हेक्टेयर वनभूमि की व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।


(आलोक बाजपेई)

भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी

कांकेर वनमंडल कांकेर

**कार्यालय कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा),
जिला उत्तर बस्तर कांकेर**

Diversion of 6.66 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation Act, 1980 at Village - Anjani, Tehsil-Kanker, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh - reg.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/SCH/153246/2022

FC Stage-I issued vide letter no. FC-II/IROCH-13/2022/954 Dated:03.10.2022

CONDITION NO. (XII)

User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

UNDERTAKING.

परियोजना में आवश्यक होने पर पर्यावरण स्वीकृति ली जावेगी, जिसके लिए विभाग वचनबद्ध है।

ASSISTANT COMMISSIONER
TRIBAL DEVELOPMENT KANKER
CHHATTISGARH
Assistant Commissioner
Tribal Development
U. B. Kanker (C.G.)

**कार्यालय कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा),
जिला उत्तर बस्तर कांकेर**

Diversion of 6.66 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation Act, 1980 at Village - Anjani, Tehsil-Kanker, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh - reg.

पंजीयन क्रमांक – FP/CG/SCH/ 153246/ 2022

FC Stage-I issued vide letter no. FC-II/IROCH-13/2022/954 Dated:03.10.2022

CONDITION NO. (XIII)

The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

UNDERTAKING

प्रकरण में राज्य सरकार के बिना अनुमति पूर्व स्वीकृति के परियोजना के प्रस्तावित ले-आउट प्लान में परिवर्तन नहीं की जावेगी, जिसके लिए विभाग वचनबद्ध है।


ASSISTANT COMMISSIONER
TRIBAL DEVELOPMENT KANKER
CHHATTISGARH
Assistant Commissioner
Tribal Development
U. B. Kanker (C.G.)

**कार्यालय कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा),
जिला उत्तर बस्तर कांकेर**

Diversion of 6.66 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation Act, 1980 at Village - Anjani, Tehsil-Kanker, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh - reg.

पंजीयन क्रमांक – FP/CG/SCH/ 153246/ 2022

FC Stage-I issued vide letter no. FC-II/IROCH-13/2022 Dated:03.10.2022

CONDITION NO. (XIV)

No labour camp shall be established on the forest land.

UNDERTAKING..

वन भूमि पर कोई श्रमिक शिविर स्थापित नहीं की जावेगी, जिसके लिए विभाग वचनबद्ध है।

**ASSISTANT COMMISSIONER
TRIBAL DEVELOPMENT KANKER
CHHATTISGARH**
Assistant Commissioner
**Tribal Development
U. B. Kanker (C.G.)**

**कार्यालय कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा),
जिला उत्तर बस्तर कांकेर**

Diversion of 6.66 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation Act, 1980 at Village - Anjani, Tehsil-Kanker, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh - reg.

पंजीयन क्रमांक — FP/CG/SCH/ 153246/ 2022

FC Stage-I issued vide letter no. FC-II/IROCH-13/2022/954 Dated:03.10.2022

CONDITION NO. (XV)

Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

UNDERTAKING..

प्रस्तावित क्षेत्र में संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन निर्माण कार्य प्रारंभ होने पर काम करने वाले श्रमिक/कर्मचारियों को वैकल्पिक रूप से ईंधन की आपूर्ति की जावेगी, जिसके लिए विभाग वचनबद्ध है।


ASSISTANT COMMISSIONER
TRIBAL DEVELOPMENT KANKER
CHHATTISGARH
Assistant Commissioner
Tribal Development
U. B. Kanker (C.G.)

**कार्यालय कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा),
जिला उत्तर बस्तर कांकेर**

Diversion of 6.66 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation Act, 1980 at Village - Anjani, Tehsil-Kanker, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh - reg.

पंजीयन क्रमांक – FP/CG/SCH/ 153246/ 2022

FC Stage-I issued vide letter no. FC-II/IROCH-13/2022/954 Dated:03.10.2022

CONDITION NO. (XVI)

The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

UNDERTAKING

व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि को चिन्हांकित कर वन विभाग के निर्देशन में परियोजना लागत पर सीमा का घेराव किया जावेगा, जिसके लिए विभाग वचनबद्ध है।

ASSISTANT COMMISSIONER
TRIBAL DEVELOPMENT KANKER
CHHATTISGARH
Assistant Commissioner
Tribal Development
U. B. Kanker (C.G.)

कार्यालय कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा),
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

Diversion of 6.66 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation Act, 1980 at Village - Anjani, Tehsil-Kanker, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh - reg.
पंजीयन क्रमांक - FP/CG/SCH/ 153246/ 2022

FC Stage-I issued vide letter no. FC-II/IROCH-13/2022/954 Dated:03.10.2022

CONDITION NO. (XVII)

No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

UNDERTAKING..

परियोजना कार्य में वन भूमि पर कोई भी अतिरिक्त या नवीन मार्ग का निर्माण नहीं किया जावेगा, जिसके लिए विभाग वचनबद्ध है।


ASSISTANT COMMISSIONER
TRIBAL DEVELOPMENT KANKER,
CHHATTISGARH
Assistant Commissioner
Tribal Development
U. B. Kanker (C.G.)

**कार्यालय कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा),
जिला उत्तर बस्तर कांकेर**

Diversion of 6.66 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation Act, 1980 at Village - Anjani, Tehsil-Kanker, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh - reg.

पंजीयन क्रमांक – FP/CG/SCH/ 153246/ 2022

FC Stage-I issued vide letter no. FC-II/IROCH-13/2022/954 Dated:03.10.2022

CONDITION NO. (XVIII)

The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less;

UNDERTAKING

व्यपवर्तन प्रकरण में लीज या परियोजना हेतु अधिरोपित शर्त विभाग को मान्य है।

Bunny
ASSISTANT COMMISSIONER
TRIBAL DEVELOPMENT KANKER
CHHATTISGARH
Assistant Commissioner
Tribal Development
U. B. Kanker (C.G.)

**कार्यालय कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा),
जिला उत्तर बस्तर कांकेर**

Diversion of 6.66 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation Act, 1980 at Village - Anjani, Tehsil-Kanker, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh - reg.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/SCH/ 153246/ 2022

FC Stage-I issued vide letter no. FC-II/IROCH-13/2022/954 Dated:03.10.2022

CONDITION NO. (XIX)

The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal;

UNDERTAKING

शासन द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए स्वीकृत परियोजना के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य हेतु वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा, जिसके लिए विभाग वचनबद्ध है।

ASSISTANT COMMISSIONER
TRIBAL DEVELOPMENT KANKER
CHHATTISGARH Commissioner
Tribal Development
U. B. Kanker (C.G.)

**कार्यालय कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा),
जिला उत्तर बस्तर कांकेर**

Diversion of 6.66 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation Act, 1980 at Village - Anjani, Tehsil-Kanker, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh - reg.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/SCH/ 153246/ 2022

FC Stage-I issued vide letter no. FC-II/IROCH-13/2022/954 Dated:03.10.2022

CONDITION NO. (XX)

The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies. department or person without prior approval of Govt. of India.

UNDERTAKING

भारत सरकार के स्वीकृति के बिना व्यपवर्तित वन भूमि को किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य विभाग/व्यक्ति/एजेंसियों को हस्तांतरित नहीं की जायेगी, जिसके लिए विभाग वचनबद्ध है।

**ASSISTANT COMMISSIONER
TRIBAL DEVELOPMENT KANKER
CHHATTISGARH**
Assistant Commissioner
Tribal Development
U. B. Kanker (C.G.)

**कार्यालय कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा),
जिला उत्तर बस्तर कांकेर**

Diversion of 6.66 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation Act, 1980 at Village - Anjani, Tehsil-Kanker, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh - reg.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/SCH/ 153246/ 2022


FC Stage-I issued vide letter no. FC-II/IROCH-13/2022/954 Dated:03.10.2022

CONDITION NO. (XXI)

Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

UNDERTAKING

विभाग द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा-निर्देश के तहत कार्यवाही है तो विभाग को मान्य है।


ASSISTANT COMMISSIONER
TRIBAL DEVELOPMENT KANKER
CHHATTISGARH
Tribal Development
U. B. Kanker (C.G.)

**कार्यालय कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा),
जिला उत्तर बस्तर कांकेर**

Diversion of 6.66 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation Act, 1980 at Village - Anjani, Tehsil-Kanker, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh - reg.

पंजीयन क्रमांक — FP/CG/SCH/ 153246/ 2022

FC Stage-I issued vide letter no. FC-II/IROCH-13/2022/954 Dated:03.10.2022

CONDITION NO. (XXII)

Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

UNDERTAKING

कार्यालय भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , राज्य सरकार या नोडल अधिकारी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत समय-समय पर वन के संरक्षण, वन्य जीवन और वनस्पतियों के संरक्षण एवं विकास के हित में निर्देश जारी की जाती है, तो उसे पालन करने के लिए विभाग वचनबद्ध है।

ASSISTANT COMMISSIONER
TRIBAL DEVELOPMENT KANKER,
CHHATTISGARH
Assistant Commissioner
Tribal Development
U. B. Kanker (C.G.)

**कार्यालय कलेक्टर,
(आदिवासी विकास शाखा),
जिला उत्तर बस्तर कांकेर**

Diversion of 6.66 ha. forest land in favour Tribal Development Kanker for Establishment of Eklavya Modern Residential School, under Forest Conservation Act, 1980 at Village - Anjani, Tehsil-Kanker, District North Baster Kanker in the State of Chhattisgarh - reg.

पंजीयन क्रमांक – FP/CG/SCH/ 153246/ 2022

FC Stage-I issued vide letter no. FC-II/IROCH-13/2022/954 Dated:03.10.2022

CONDITION NO. (XXIII)

The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).

UNDERTAKING

कार्य पूर्णता रिपोर्ट को ई-पोर्टल (परिवेश) में अपलोड करने हेतु विभाग वचनबद्ध है।

**ASSISTANT COMMISSIONER
TRIBAL DEVELOPMENT KANKER
CHHATTISGARH**
Assistant Commissioner
Tribal Development
U. B. Kanker (C.G.)